सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

षष्ठम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 06 आषाढ़, 1944 (श०) / 27 जून, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 93

(1)	गृह विभाग	.. ..	62
(2)	सामान्य प्रशासन विभाग	.. ..	06
(3)	वित्त विभाग	.. ..	04
(4)	उद्योग विभाग	.. ..	12
(5)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	.. ..	03
(6)	मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग	.. ..	04
(7)	गन्ना उद्योग विभाग	.. ..	01
(8)	सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	.. ..	01
		कुल योग --	93

हवाई अड्डा का निर्माण कराना

*1. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा से रक्सौल के बीच करीब 200 किलो मीटर में कोई हवाई अड्डा नहीं है जबकि नेपाल सीमा से सटे सामरिक महत्व के सीमांचल जिला की खुली सीमा नेपाल देश से आधा दर्जन जगहों पर सड़कों से जुड़ती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी में नेपाल से प्रतिदिन हजारों लोगों तथा सैकड़ों वाहन आवागमन होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सीतामढ़ी में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*2. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड के पंचायत विषणुपुर बाजार अन्तर्गत वार्ड नम्बर 3 में नदी किनारे वाले कब्रिस्तान का घेराबंदी नहीं होने से उस क्षेत्र के आमलोगों को परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कराना

*3. डॉ0 निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत कटोरिया एवं बौंसी प्रखंड के पहाड़ी एवं मैदानी भागों में टमाटर एवं कटहल का उत्पादन भारी मात्रा में होता है किन्तु इसकी प्रोसेसिंग यूनिट न होने के चलते उपज नष्ट हो जाती है या कम कीमत पर बेचना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में टमाटर एवं कटहल पर आधारित प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण कराना

*4. श्री मोती लाल प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुप्पी प्रखंड में सुप्पी थाना स्वीकृत है, किन्तु थाना भवन नहीं होने से पुलिस को अपना कार्य करने में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार सुप्पी थाना भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आर0 टी0 पी0 एस0 केन्द्र चालू करना

*5. डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में आर0 टी0 पी0 एस0 केन्द्र का निर्माण एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति हुई, लेकिन जिम्मेदार तंत्र की लापरवाही से केन्द्र बंद हैं और असामाजिक तत्व द्वारा खिड़की तक उखाड़ कर ले गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त केन्द्र बंद होने के कारण गरीब जनता साईबर कैफे में जाते हैं जिससे गरीब जनता का आर्थिक दोहन होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त आर0 टी0 पी0 एस0 केन्द्र को कबतक चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रोजगार देना

*6. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0जा0))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला में ताड़ के वृक्ष से ताड़ी उत्पादन करने के रोजगार में महादलित खासकर पासी समुदाय के लोग लगे हुये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार ताड़ी से नीरा उत्पादन पर जोर दे रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पटना जिला में नीरा उत्पादन पर आधारित एक उद्योग लगाकर रोजगार देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण कराना

*7. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत मटिहानी विधान सभा का शाम्हो थाना अभीतक भवनहीन है तथा पूर्णत: बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण बाढ़ के समय में पुलिसकर्मियों को रहने एवं विभागीय कागजातों को सुरक्षित रखने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना भवन का निर्माण कबतक कराये जाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*8. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर नगर परिषद् क्षेत्र के अधीन ईमली तल (कुर्मी टोला), वार्ड नम्बर 9, अनूप बिगहा वार्ड नम्बर 16, कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*9. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत मटिहानी विधान सभा अन्तर्गत बेगूसराय नगर निगम के वार्ड संख्या 2 एवं वार्ड संख्या 6 स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण दो समुदायों के बीच काफी तनाव बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*10. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखंड खिजरसराय के ग्राम-पनहरी में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी आजतक नहीं किया गया है जिसके कारण दो समुदायों में बराबर तनाव की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं,तो क्यों ?

पुलिस पिकेट बनाना

*11. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दिनारा प्रखंडान्तर्गत ग्राम-गंजभरासरा पुलिस थाना दिनारा में 15 कि0मी0 दूर होने के कारण विधि व्यवस्था में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम में पुलिस पिकेट बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*12. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी एवं शिवहर जिला में एक भी उद्योग इकाई नहीं है जबकि सीतामढ़ी जिला की जनसंख्या 26,69,887 क्षेत्रफल 2643 वर्ग कि0मी0 एवं शिवहर जिला की जनसंख्या 5,14,288 क्षेत्रफल 2643 वर्ग कि0मी0 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी, शिवहर जिला में धान, गेहूँ, आम, लीची, केला तथा सब्जी का उत्पादन वृहद् पैमाने पर होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीतामढ़ी जिला में कृषि आधारित चावल (राईस) उद्योग लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वेतन भुगतान कराना

*13. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बियाडा प्रबंधन द्वारा 25 जुलाई, 2007 में 10 पदाधिकारी/कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति करा दिया गया, तदुपरांत पटना उच्च न्यायालय के आदेश से दिनांक 5 मई, 2009 से इन सबों को पुनर्बहाल तो कर दिया गया, परंतु कुछ कर्मियों को 25 जुलाई से 5 मई, 2009 तक बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बियाडा में पेंशन का प्रावधान न होने के कारण भरण-पोषण के लिए इनके पास कोई अन्य आर्थिक विकल्प नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बियाडा में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*14. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अंतर्गत कदवा प्रखंड के कंटिया ग्राम पंचायत के दोखरा तथा कुरसेल ग्राम पंचायत के कचोरा कब्रिस्तानों के परिसर की घेराबंदी नहीं की गई है, जिसके कारण उक्त दोनों कब्रिस्तान पशुओं का चरागाह बना हुआ है तथा कब्रिस्तान की भूमि का अतिक्रमण हो रहा है यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तान परिसर की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना का निर्माण कराना

*15. मो0 आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत कसबा विधान सभा स्थित कसबा थाना भवन 20 वर्षों से जर्जर होने के कारण थाना प्रशासन के कार्य करने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना भवन का नवनिर्माण करने के साथ ही उक्त थाना को मॉडल थाना में परिवर्तित कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मरम्मती कराना

*16. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर नगर क्षेत्र में अवस्थित दौलतपुर के कब्रिस्तान की चहारदीवारी जीर्ण-शीर्ण हो गयी है जिसके कारण अतिक्रमण का खतरा उपस्थित हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार दौलतपुर कब्रिस्तान की चहारदीवारी की मरम्मती कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*17. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत गोह प्रखंड के उपहारा पंचायत के ग्राम-उपहारा में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है जिसके कारण आए दिन आवारा पशु कब्र पर घूमते रहते हैं तथा उस प्रखंड में झिकटिया पंचायत के ग्राम-जैतिया स्थित कब्रिस्तान में बरसात के समय में गंदे पानी का जमाव हो जाता है एवं चहारदीवारी का एक तरफ का हिस्सा गिर गया है और बाकी काफी जर्जर स्थिति में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी एवं जर्जर कब्रिस्तान का जीर्णोद्धार तथा जल-जमाव से निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शाखा खोलवाने हेतु

*18. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत योगापट्टी प्रखंड के नवसृजित नगर पंचायत मच्छरगावां नाथ सम्प्रदाय के प्रथम गुरू की बसाई हुई नगरी है जिनके नाम से इस गांव का नाम मच्छरगावां पड़ा, यह एक बहुत ही बड़ा व्यापारिक स्थल है किन्तु यहां भारतीय स्टेट बैंक की कोई भी शाखा नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक (एस0बी0आई0) की शाखा कबतक खोलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराना

*19. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखंड में अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के लिये छात्रावास उपलब्ध नहीं है, जिससे इस समुदाय के गरीब छात्र-छात्राओं को रहने में काफी कठिनाइयाँ हो रही हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड मुख्यालय में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थापना करना

*20. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अन्तर्गत केसरिया प्रखंड के हुसैनी में खादी ग्रामोद्योग के तहत महिलाओं के लिये सिलाई, कढ़ाई एवं सींकी उद्योग की अपार संभावनाएं हैं जिससे गरीब महिलाओं का उत्थान होगा, यदि हाँ, तो सरकार महिलाओं के उत्थान के मद्देनजर केसरिया में सिलाई, कढ़ाई एवं सींकी उद्योग की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सिफारिश हेतु

*21. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार-अररिया-पूर्णियाँ-किशनगंज आदि जिले के सूरजापुरी मुसलमानों को सूरजापुरी जाति के रूप में चिन्हित कर पिछड़े वर्ग की मान्यता बिहार सरकार द्वारा प्रदान की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन्हीं सूरजापुरी मुसलमानों को केन्द्र सरकार ने पिछड़ी जाति की मान्यता प्रदान नहीं की है ;

(3) क्या यह बात सही है कि देश के दूसरे हिस्सों में उन्हें सामान्य वर्ग का माना जाता है, लेकिन बिहार सरकार अपने यहां उनके लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं करती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार केन्द्र सरकार से सूरजापुरी मुसलमानों को पिछड़ी जाति की मान्यता प्रदान करने की सिफारिश का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी निदेशक पद से मुक्त करना

*22. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि श्री अवनिकांत त्रिवेदी, सहायक निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला का सहायक निदेशकों की वरीयता सूची में वरीयता क्रमांक में 12वां स्थान पर रहने के उपरांत विभाग द्वारा वरीय पदाधिकारियों को प्रोन्नति नहीं देते हुये गलत तरीके से क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भागलपुर का प्रभारी निदेशक पद पर प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार सहायक निदेशकों की वरीयता के आधार पर प्रभारी निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति करने के साथ ही कनीय सहायक निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला को क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भागलपुर के प्रभारी निदेशक पद से कबतक मुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कैडर का निर्माण

*23. श्री अली अशरफ सिद्दिकी (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पुलिस द्वारा जप्त लावारिस वस्तु/प्रदर्श को थाना के मालखाना में रखे जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में मालखाना के लिये अलग से मालखाना पदाधिकारी का कैडर है परंतु बिहार में मालखाना प्रभारी का कोई अलग कैडर नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार में मालखाना पदाधिकारी का अलग कैडर बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रास्ता चालू करना

*24. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजापाकर (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत राजापाकर विधान सभा के उफरौल पंचायत के गाजीपुर ग्राम के वार्ड नं० 10 में पासवान टोला का रास्ता विगत एक वर्ष से गांव के शरारती तत्वों द्वारा ईट की दीवार खड़ी कर बंद कर दिया गया है, जबकि कई पीढ़ियों से इस टोले के लोग इस रास्ते से आते-जाते रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बंद कर दिये गये आम रास्ता को फिर से चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० की स्थापना करना

*25. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही विधान सभा के लदनिया प्रखंड के पदमा और जोगिया के बीच धौरी नदी के पास ओ०पी० नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि लदनिया प्रखंड लॉ एण्ड ऑडर की दृष्टि से काफी संवेदनशील क्षेत्र है परंतु उक्त स्थान पर ओ०पी० स्थापित नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा आये दिन अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा रहा जिससे आम जनता काफी डरे सहमे हुये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लदनिया प्रखंड के पदमा और जोगिया के बीच में ओ०पी० की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क पर जप्त वाहन को हटाना

*26. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत बोधगया थाना के सामने 10 वर्षों से अधिक समय से जप्त बड़े एवं छोटे वाहन खड़े रहते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बोधगया एक पर्यटक स्थल है, उक्त थाना के सामने सड़क पर जप्त बड़े वाहन एवं छोटे वाहन के कारण यात्रियों एवं पर्यटकों को आने-जाने में कठिनाई होती है और आये दिन जाम की स्थिति बनी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त थाना के सामने सड़क पर जप्त वाहन को कबतक हटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० स्थापित कराना

*27. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (क्षेत्र संख्या-240 सिकन्दरा (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत प्रखंड इस्लामनगर, अलीगंज के मुख्य बाजार अलीगंज से थाना-चन्द्रदीप की दूरी लगभग 06 कि०मी० है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आये दिन अलीगंज मुख्य बाजार में अप्रिय घटना हुआ करती है, परन्तु दूरी अधिक होने के कारण पुलिस प्रशासन वहां देर से पहुँचती है तबतक घटनाएँ घट जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त घटनाओं को रोकने हेतु अलीगंज बाजार में ओ०पी० स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राहत देना

*28. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नये उद्योग स्थापित करने हेतु बियाडा (BIADA) की आवंटित भूमि के सतत् लीज का किराया ज्यादा होने से उद्योग स्थापित करने में नये प्रमोटर्स को दिक्कत हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बियाडा (BIADA) की सतत् लीज भूमि आवंटन के प्रथम वर्ष में परियोजना के लागत का 30 फीसदी पैसा जमा करने का प्रावधान है जिससे नये उद्योग स्थापित करने में पूंजी की कमी के कारण समस्याएँ उत्पन्न हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बियाडा (BIADA) के आवंटित सतत् लीज के भूमि का किराया दर कम करने एवं प्रथम वर्ष में परियोजना के कुल लागत का 10 फीसदी पैसा ही जमा कराने का प्रावधान कर नये प्रमोटर्स को राहत देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

सूचीबद्ध कराना

*29. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत पंडौल प्रखंड के मकरमपुर पंचायत के तारसराय में अवस्थित कब्रिस्तान जिसका थाना सं० 98, खेसरा 791, रकबा 0-05-0 (पाँच कट्ठा) की प्राथमिकता निर्धारण सूची में अंचलाधिकारी, पंडौल द्वारा घेराबंदी सूचीबद्ध नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान को सूचीबद्ध करते हुये घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*30. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के सरियतपुर में चीनी मिल स्थापित करने हेतु 15 वर्ष पूर्व सरकार को जमीन दी गई थी परंतु अभीतक चीनी मिल की स्थापना नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सरियतपुर में चीनी मिल स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*31. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत हसपुरा प्रखंड के अमझरसरीफ पंचायत के

वार्ड नं० 9 में तथा बाला बिगहा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा जानवर घूमते रहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*32. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के अंतर्गत गढ़पुरा थाना, भवन विहीन है एवं अभी यह निजी भवन में संचालित होने से विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार गढ़पुरा थाना का अपना भवन कबतक बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक इकाई की स्थापना

*33. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय अधिसूचना 671, दिनांक 16 जून, 2020 द्वारा बिहार राज्य चीनी निगम लि० के लोहट सहित अन्य 8 इकाइयों एवं इसके अतिरिक्त फार्म लैन्ड को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बी०आई०ए०डी०ए०) को हस्तांतरित कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन इकाई क्षेत्रों में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का अधिष्ठापन कार्य कराया जाना है किन्तु उक्त इकाइयों को हस्तांतरित हुये दो वर्ष बीतने के पश्चात् भी अभीतक कोई फलाफल नहीं देखा जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोहट सहित अन्य जगहों के हस्तांतरित भूमि पर औद्योगिक इकाई की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*34. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली में पुलिस थाना, शेड के बहुत ही पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था वाले भवन में संचालित हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शेड वाले भवन में पुलिसकर्मियों के लिये न आवासीय सुविधा है और न ही स्वच्छता के दृष्टिकोण से शौचालय है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बरौली थाना परिसर में नये थाना भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

इथेनॉल प्लांट स्थापित करना

*35. श्री उमाकांत सिंह (क्षेत्र संख्या-7 चनपटिया)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत चनपटिया प्रखंड के कुमारबाग में बियाडा का 350 एकड़ जमीन उद्योग लगाने हेतु सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बियाडा के खाली जमीन पर अभीतक किसी प्रकार का उद्योग नहीं लगाया गया है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बियाडा के उक्त जमीन पर इथेनॉल प्लांट स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरा आरक्षण करना

*36. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा दिल्ली में बिहार निवास, बिहार भवन एवं बिहार सदन का संचालन किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार भवन को सामान्यत: वरीय पदाधिकारीगण के लिये ही आवंटित करने की परम्परा है तथा वर्तमान में बिहार निवास में माननीय सदस्यों को कमरा आरक्षित नहीं कर पदाधिकारीगण को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि माननीय सदस्यों को केवल बिहार सदन में ही कमरा आरक्षित किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार माननीय सदस्यों को बिहार भवन, बिहार निवास में आवश्यकता अनुरूप माँगे गये कमरा आरक्षण की जगह बिहार सदन में कमरा देने तथा पदाधिकारीगण को बिहार निवास, बिहार भवन में कमरा आरक्षित करने की गलत परम्परा पर रोक लगाने तथा वरीयता अनुरूप कमरा आरक्षण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम से निजात दिलाना

*37. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय मुख्यालय के यातायात व्यवस्था के लिये स्वचालित लाइट यातायात प्रणाली नहीं रहने के कारण तथा ट्रैफिक उपाधीक्षक की प्रतिनियुक्ति के बावजूद बेगूसराय जिला मुख्यालय में जाम की भारी स्थिति बनी रहती है जिससे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बेगूसराय शहर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिये आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*38. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के केवटी प्रखंडान्तर्गत कई वर्षों से रैयाम चीनी मिल बंद है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मिल की जगह पर कोई उद्योग लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित करना

*39. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ0जा0))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के भोरहा पंचायत के ठेकपुरा, पहुँसरा पंचायत के पहुँसरा, लालमोहननगर, कालाबलुआ पंचायत के कालाबलुआ, गुणवंती पंचायत के गुणवंती, विशनपुर पंचायत के विशनपुर, मधुलता और खरसाही पंचायत के खरसाही एवं जगता आदि गाँवों में सहतूत के पौधों पर रेशम कीट का पालन कर रेशम का धागे बनाने का कार्य वर्ष 2016-17 से व्यापक रूप से किया जा रहा है, किन्तु सही मूल्य नहीं मिलने के कारण रेशम कीट पालक किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार सहतूत के पेड़ पर रेशम कीट के पालन, रेशम के धागे का उत्पादन और उसके बिक्री को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये कौन-सी उपाय करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*40. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के मैनाटांड प्रखंड के बरवा-परसौनी गाँव में कब्रिस्तान की चहारदीवारी नहीं होने के कारण उसकी जमीन का अतिक्रमण हो रहा है और वह क्षेत्र संवेदनशील है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ए0सी0पी0 योजना का लाभ

*41. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग से 48वीं से 52वीं तक के चयनित विभिन्न विभागों में से वित्त सेवा एवं पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को ए0सी0पी0 का लाभ दिया गया है, जबकि प्रशासनिक सेवा के एस0डी0एम0 सहित अन्य पदाधिकारियों को ए0सी0पी0 का लाभ अभीतक नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार 48वीं से 52वीं के उक्त सेवा के पदाधिकारियों को ए0सी0पी0 योजना का लाभ कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिलाना

*42. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिख समुदायों को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय में दर्जा मिलने के बावजूद बिहार राज्य में सिख समुदाय को विभिन्न अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सिख समुदायों को किसी प्रकार का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जाता है, जिससे सिख समुदाय के छात्र/छात्राएँ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिख समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिलाने एवं अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजना का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विज्ञापन/प्रचार प्रसार पंचायत स्तर पर करना

*43. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकारी योजनाओं का विज्ञापन प्रखंड स्तर तक ही होने के कारण पंचायत स्तर पर इसकी जानकारी सभी को नहीं हो पाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सरकारी योजनाओं का विज्ञापन/प्रचार-प्रसार पंचायत स्तर पर भी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम से निजात दिलाना

*44. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के प्रखंड पिपरा में पिपरा बाजार एवं किशनपुर प्रखंड के किशनपुर चौक पर हमेशा जाम लगा रहता है, जिससे आमजनता को आने-जाने में काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्थानों पर जाम से निजात दिलाने के लिये आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*45. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत बौंसी थाना वर्ष 2011 में सामुदायिक भवन, बसैटी में संचालित हो रहा है जबकि थाना का अपना भवन एवं आवासीय परिसर के निर्माण के लिए बसैटी मौजा में खाता नं0 1137, 385, 379, 448, 396 खेसरा नं0 1121, 1122, 371, 865, 866 कुल रकबा 2 एकड़ 50 डिसमिल जमीन राज्यपाल, बिहार के नाम दर्ज है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भू-खंड पर थाना का अपना भवन एवं पुलिसकर्मियों तथा पुलिस पदाधिकारियों के लिए आवासीय भवन का कबतक निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*46. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम में अकासी पंचायत के ग्राम-अकासी में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से बाहरी लोगों द्वारा कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सजा दिलाना

*47. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला मुख्यालय आरा के अति व्यस्त बाजार जेल रोड स्थित प्रज्ञा पंखा के प्रोपराईटर सलील जैन की दिन दहाड़े बर्बर हत्या 2 जून, 2022 को अपराधियों ने उनकी दुकान में घुसकर गोली मारकर कर दी तथा यह टाउन थाना कांड संख्या 488/22 के रूप में दर्ज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक पुलिस हत्यारों को पकड़ नहीं पाई है और शहर के व्यापारियों व आम नागरिकों में भय का महौल है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अपराधियों को गिरफ्तार कर व उनपर स्पीडी ट्रॉयल चलाकर कड़ी सजा दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*48. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत जक्कनपुर थाना कांड संख्या 70/03, दिनांक 18 मई, 2003 धारा 364(ए) एवं कोतवाली थाना कांड संख्या 301/03, दिनांक 23 जुलाई, 2003, धारा 364(ए)/365/120(बी)/34 के तहत रणविजय सिंह एवं अन्य 15 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या 257/03, दिनांक 19 अगस्त, 2003 को समर्पित किया गया है, यदि हाँ, तो आरोप-पत्र समर्पित किए जाने के 19 वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी अभीतक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने का क्या औचित्य है ?

भवन का जीर्णोद्धार

*49. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया विधान सभा क्षेत्र के पानापुर थाना का भवन जर्जर अवस्था में होने के कारण सरकारी कागजात के रख-रखाव एवं अन्य कार्यों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना भवन का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय बाल विद्यालय बनाना

*50. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के पुलिसकर्मियों के बच्चों की पढ़ाई हेतु बिहार का एकमात्र विद्यालय श्री कृष्ण आरक्षी बाल विद्यालय, हजारीबाग बिहार विभाजन के पश्चात् झारखंड में चला गया, जिससे बिहार के पुलिसकर्मियों के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ाई करने से वंचित हो गये ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिसकर्मियों के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था के लिए POLICE MANNUAL RULE, 1196 एवं परिशिष्ट 91 में विस्तृत व्याख्या की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री कृष्ण आरक्षी बाल विद्यालय, हजारीबाग के तर्ज पर बिहार के पुलिसकर्मियों के बच्चों की पढ़ाई हेतु आवासीय बाल विद्यालय बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस पिकेट बनाना

*51. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, गृहि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के मलियाबाग बाजार में मार्च, 2022 में दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गयी थी, जिससे उक्त बाजार के लोगों द्वारा विधि व्यवस्था में सुधार करने के लिए पुलिस पिकेट बनाने की मांग की गयी थी, पर आजतक पुलिस पिकेट नहीं बनाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त बाजार में पुलिस पिकेट बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*52. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के शेखपुरा प्रखण्ड अन्तर्गत नगर परिषद्, शेखपुरा क्षेत्र के तरछा मुहल्ला के कब्रिस्तान तथा शेखपुरा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-गगरी में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नया हवाई अड्डा बनाना

*53. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार की नई सिविल एविएशन पॉलिसी, 2016 के अन्तर्गत रिजनल कनेक्टीविटी स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा भागलपुर हवाई अड्डा को भी इस योजना में शामिल किया गया, लेकिन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय राउंड की बिडिंग के बाद किसी भी प्राईवेट विमानन कंपनी ने भागलपुर से उड़ान हेतु बीड नहीं डाला ;

(2) क्या यह बात सही है कि भागलपुर में बिहार सरकार के अधीन हवाई अड्डा की लंबाई 3200 फीट है जो बड़े व्यावसायिक उड़ान के लिए अपर्याप्त है ;

(3) क्या यह बात सही है कि भागलपुर से सटे गोराडीह प्रखंड में गौशाला की दो खंडों में 475 एकड़ जमीन है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गोराडीह प्रखंड के दो खंडों में स्थित गौशाला की जमीन एवं इससे सटे इलाकों के जमीन का अधिग्रहण कर नया हवाई अड्डा बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गिरफ्तारी करना

*54. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के प्रतापगंज थाना अन्तर्गत रणवीर कुमार उर्फ रणजीत कुमार एवं अभिषेक कुमार की हत्या NH-57 के दुअनियां पुल के पास कर दी गयी थी जिसका कांड संख्या 144/21 एवं 149/21 दर्ज है तथा सुपौल थाना के कोसी नदी बलवा घाट पर दो सगे भाई अमित कुमार एवं आनंद कुमार की हत्या एकसाथ की गयी जिसका कांड संख्या 19/22 दर्ज है परंतु महीनों बाद भी कांड का उद्‌भेदन नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कांडों का उद्‌भेदन कर सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुशंसा की स्वीकृति प्रदान करना

*55. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014 में 485 फार्मासिस्टों की नियुक्ति की गयी थी जिसे बिहार सरकार के प्रावधान के अनुसार दो वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करने के पश्चात् वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-2800 से ग्रेड पे-4200 किया जाना था, इसके लिये स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 4/वि०धि०-8-241/2017, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 द्वारा वित्त विभाग के संचिका सं०3ए 2 वेतन पु० 08/2019, दिनांक 15 जनवरी, 2019 को स्वीकृति हेतु भेजा गया था, परन्तु विभाग द्वारा अभीतक स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त फार्मासिस्टों को ग्रेड पे 4200 की स्वीकृति का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक/दमकल की व्यवस्था करना

*56. श्री जितेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावां)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के अस्थावां विधान सभा क्षेत्र के अस्थावां, सरमेरा, बिंद एवं कतरीसराय प्रखंड जो जिला मुख्यालय से काफी दूर है, परंतु इन प्रखंडों में अग्निशामक/दमकल की व्यवस्था नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंडों में आग लगने पर जिला मुख्यालय से सहायता आने तक काफी नुकसान हो चुका होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में अग्निशामक /दमकल की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*57. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया विधान सभा के पानापुर थाना में पुलिस बैरक एवं आगन्तुक कक्ष के नहीं रहने के कारण पुलिस कर्मियों एवं आमजनता को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना भवन में पुलिस बैरक एवं आगन्तुक कक्ष का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच करवाना

*58. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि BSSC द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2019 के अन्तर्गत उर्दू अनुवादक के लिये 202 रिक्तियों के विरुद्ध 12 फरवरी, 2022 को 182 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु योग्य पाया गया, जबकि काउंसिलिंग के उपरांत आयोग द्वारा पुनः परिणाम निकाल कर 308 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिये बुलाया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 3 जून, 2022 को आयोग द्वारा बिना कोई ठोस कारण और दस्तावेज जमा करने के लिये समय दिये बिना कई सफल अभ्यर्थियों को बाहर कर अंतिम परिणाम में सिर्फ 149 अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पद की नियुक्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया की जाँच कराने तथा पहले मेरिट लिस्ट के सफल अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिये समय देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उर्दू अनुवादक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 02/2019 में लिखित परीक्षा के उपरान्त कुल 202 रिक्तियों के विरुद्ध 182 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया गया है, क्योंकि कतिपय कोटियों में सुपात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे। काउंसिलिंग के उपरान्त पर्याप्त संख्या में रिक्यों के विरुद्ध योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाये। अतएव प्रश्नगत विज्ञापन हेतु सुपात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता को देखते हुये समीक्षोपरान्त आयोग द्वारा विभिन्न कोटि के लिखित परीक्षा में शेष सफल अभ्यर्थियों में से मेधानुसार 308 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया ताकि वांछित संख्या में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकें।

(2) अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 3 मार्च, 2022 एवं दिनांक 4 मार्च, 2022 को कुल 182 अभ्यर्थियों तथा दिनांक 12 मई, 2022, दिनांक 13 मई, 2022 एवं दिनांक 14 मई, 2022 को कुल 308 अभ्यर्थियों का काउंसिलिंग सम्पन्न हुआ। आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापांक 616/आ०, दिनांक 21 फरवरी, 2022 एवं ज्ञापांक 1532/आ०, दिनांक 26 अप्रील, 2022 द्वारा अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया था कि वे आयोग कार्यालय में आयोजित काउंसिलिंग हेतु वांछित अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार, स्पष्ट है कि प्रथम चरण में आयोजित काउन्सिलिंग से दस दिन पूर्व एवं द्वितीय चरण की काउंसिलिंग से सोलह दिन पूर्व अभ्यर्थियों को आवश्यक सूचना के माध्यम से सूचित कर दिया गया था। काउंसिलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना आयोग के वेबसाइट एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गयी थी।

विज्ञापन की शर्तों के आलोक में काउंसिलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों में से मेधानुसार एवं कोटिवार योग्य पाये गये 149 अभ्यर्थियों की अनुशंसा अधियाची विभाग को प्रेषित की जा रही है।

(3) कंडिका (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। फिर, भी, आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापांक 1547/आ०, दिनांक 26 अप्रील, 2022 द्वारा अभ्यर्थियों को निदेश दिया गया था कि काउंसिलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में उन्हें काउंसिलिंग हेतु अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

घेराबंदी करना

*59. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम में शेरशाह रौजा के दक्षिण में कब्रिस्तान की घेराबंदी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की कबतक नये सिरे से घेराबंदी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

न्याय दिलाना

*60. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत आजमनगर थाना के नया टोला पस्तियां गाँव की 15 साल की मासूम माहिनूर की अपहरण एवं गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गयी है जिसके संबंध में आजमनगर थाना में कांड संख्या 143/22 दर्ज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 24 मई, 2022 की शाम से गायब माहिनूर की खोज-बीन के बावजूद पता नहीं लगने पर 25 मई, 2022 को दिन में 1.00 बजे एवं पुन: 5.00 बजे दुबारा उसकी माँ नाहिदा खातून द्वारा आजमनगर थानाध्यक्ष को लिखित सूचना दी गयी इसके बाद दूसरे टोला में रेखा देवी के मकान में उसे फांसी पर लटका दिया गया है जो थानाध्यक्ष का अपनी ड्यूटी के प्रति आपराधिक लापरवाही का सबूत है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कर्तव्यहीनता तथा आपराधिक लापरवाही के लिये थानाध्यक्ष पर कार्रवाई कर मृतक परिवार को न्याय दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*61. ई० शशि भूषण सिंह (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली विधान सभा क्षेत्र के सुगौली प्रखंड के बगही पंचायत के ग्राम-श्रीखण्डी में स्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक [illegible] का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*62. मो० आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार ने वर्ष 2011-12 में निर्णय लिया था कि राज्य के प्रत्येक जिला में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराया जायेगा लेकिन पूर्णियाँ जिला में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण अभीतक नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार पूर्णियाँ जिला में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*63. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखंडान्तर्गत पलुहारा पंचायत के ग्राम-सुकुलखाप में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नया भवन बनाना

*64. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत टेढ़ागाछ थाना सन् 1941 ई० से टीन के मकान में चल रहा है जो वर्षा ऋतु में टपकने लगता है एवं सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना में महिला बैरक एवं महिला हाजत नहीं है और न ही महिला पदाधिकारियों के सुरक्षित आवास हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार थाना टेढ़ागाछ का नया भवन कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*65. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के विवादित दरगाहों और कबिस्तानों की घेराबंदी करने का निर्णय लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना जिला अंतर्गत फुलवारीशरीफ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत लालमियाँ के दरगाह फुलवारीशरीफ और कब्रिस्तान जानीपुर की घेराबंदी नहीं होने के कारण समय-समय पर विवाद होते रहते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त दरगाह और कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*66. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत रहिका प्रखंड के खजुरी पंचायत में अवस्थित गणेशपुर कब्रिस्तान, (थाना नं० 67, खाता 783, खेसरा 1435, रकबा 2.21 डिसमिल) को प्राथमिकता निर्धारण सूची में उसकी घेराबंदी दिखाई गई है परंतु वास्तविकता में यह घेराबंदी नहीं हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 424/2020 द्वारा उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में विभाग को लिखा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है ?

गिरफ्तारी करना

*67. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड चरपोखरी के कश्मारियां गांव निवासी बैजनाथ प्रसाद एवं उनके पुत्र अजित कुमार की दिनांक 10 मई, 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई जिसका चरपोखरी थाना कांड संख्या 88/22 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मामले में मुख्य अभियुक्त की अभीतक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कांड के अभियुक्तों को कबतक गिरफ्तार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*68. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में उर्दू भाषा को दूसरी भाषा की मान्यताप्राप्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा होने के उपरांत एवं सरकार को दिशा-निर्देश के बावजूद भी पूर्णियाँ के सरकारी कार्यालयों एवं अन्य संस्थाओं में उर्दू में नेम प्लेट लिखा नहीं मिलता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो संस्थाओं एवं कार्यालयों में सरकार के दिशा-निर्देश का अनुपालन नहीं करने का क्या औचित्य है ?

मैरवा को अनुमंडल बनाना

*69. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत मैरवा को अनुमंडल बनाने हेतु वर्ष 1986 में सरकार द्वारा घोषणा की गयी थी परंतु आजतक अनुमंडल नहीं बनाया गया है जबकि मैरवा अनुमंडल बनने हेतु सभी अर्हताएँ को पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मैरवा को अनुमंडल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संशोधन करना

*70. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बी०पी०एस०सी० से चयनित बिहार पुलिस सेवा निगरानी (बी०पी०एस०भी०) एवं गृह विभाग के पुलिस उपाधीक्षक (बी०पी०एस०पी०) की रैंक, प्रशिक्षण एवं कार्य में पूरी समानता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि निगरानी संवर्ग के कंडिका 2 (झ) में अंकित है कि वर्दीधारी संवर्ग पुलिस हस्तक के अनुसार कार्य करेगा परंतु स्पष्ट रूप से यह प्रावधानित नहीं है कि "यह राज्य पुलिस सेवा संवर्ग होगा" जिससे इनकी सेवाशर्त एवं पदोन्नति में समस्या हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग नियमावली 2012 में संशोधित कर "यह सेवा राज्य पुलिस सेवा का अंग है" को जोड़ने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना

*71. डॉ० निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत कटोरिया एवं बौंसी प्रखंड के पहाड़ों पर पाये जाने वाले वन-ऊपज में महुआ की भारी मात्रा में ऊपज होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि महुआ के प्रोसेसिंग यूनिट न होने के चलते ऊपज नष्ट हो जाती है या कम कीमतों में बेचना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में महुआ पर आधारित प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरक्षण का लाभ देना

*72. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0ज0जा))--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 01/2022 में स्नातक स्तरीय विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु कुल 2187 पदों के विरुद्ध अनुसूचित जन-जाति के लिए केवल सात पद आरक्षित है और विज्ञापन संख्या 02/2022 में पशु चिकित्सक पदाधिकारी एवं अन्य पदों के लिए विज्ञापित 676 पदों में अनुसूचित जन-जाति के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बिहार के सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जन-जाति अभ्यर्थियों को मिले आरक्षण प्रतिशत के अनुसार उन्हें आरक्षण का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई

*73. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दिनांक 11 जून, 2022 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिहार पुलिस को हिदायत दी है कि आई0पी0सी0 की धारा 41A के तहत वर्णित शर्तों के अनुपालन के बाद ही अनिवार्य स्थिति में गिरफ्तारी की जाय ;

(2) क्या यह बात सही है कि पिछले 10 वर्षों में बिहार में 1000 से अधिक व्यक्तियों की आई0पी0सी0 की धारा 41A के तहत आवश्यक न होते हुए भी गिरफ्तारी की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आई0पी0सी0 की धारा 41A के तहत अनावश्यक रूप से गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को मुआवजा देने एवं दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

महिला बैरक बनाना

*74. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड अन्तर्गत थाना-राजपुर में थाना भवन जर्जर है तथा इस थाना में महिला बैरक भी नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राजपुर थाना भवन का निर्माण एवं महिला बैरक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*75. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के बिहपुर प्रखंड अन्तर्गत लत्तीपुर दक्षिण पंचायत के ग्राम भगवतीपुर स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण कब्रिस्तान की जमीन जिसका रकवा 21 डिसमिल है, अतिक्रमण हो रहा है एवं आवारा पशु उसमें विचरण करते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक केन्द्र स्थापित करना

*76. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र नहीं है जिसके कारण आमजनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में कबतक अग्निशामक केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*77. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला अंतर्गत गंहरिया प्रखण्ड के इटवा जीवछपुर पंचायत के सीरपुर टोला एवं मधेपुरा प्रखण्ड के भदौल-बुधमा पंचायत के वार्ड नम्बर 13 में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीँ रहने से स्थानीय लोगों द्वारा कब्रिस्तान भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे दो समुदायों के बीच तनाव का माहौल बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निष्पादन करना

*78. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के 22 सहित पूरे राज्य के फॉरेंसिक लेबोरेटरी में सर्प दंश से हुए असामायिक मौत से संबंधित 923 बेसरा जांच के मामले में पिछले तीन वर्ष से लम्बित है, जिसके कारण इससे जुड़े परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इन लंबित जांचों के शीघ्र निष्पादन का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*79. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत दुर्गावती प्रखंड में इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक) की दुर्गावती बाजार शाखा अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बैंक में लालजड़ी देवी, पति-लक्ष्मण सिंह, ग्राम-मचखिया, पो0-पिपरिया द्वारा चाल लाख रुपये एफ0डी0 दिनांक 20 फरवरी, 2020 को कराया गया लेकिन बैंक मैनेजर ने धोखाधड़ी कर केवल चालीस हजार रुपये का एफ0डी0 किया तथा चार लाख रुपये का फर्जी एफ0डी0 रसीद लालजड़ी देवी को दे दिया, इसी प्रकार उक्त बैंक शाखा में राजमुनी देवी, पति-विमलेश बिन्द, ग्राम-खरखोली, प्रखंड दुर्गावती का एवं अन्य कई समान मामले प्रतिवेदित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बैंक के ऐसे मामले की जांच कर शाखा प्रबंधक पर कार्रवाई एवं सम्बंधित खाताधारकों को उनका पूरा जमा रकम वापस दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*80. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड अन्तर्गत पुरैनी पंचायत के वार्ड नं0 11 में स्थित बड़ी कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से उस क्षेत्र के आमलोगों को परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*81. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड अगिआँव के ग्राम-छपरापुर और ग्राम-पहरिया के कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*82. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखंड दलसिंहसराय, पंचायत-बम्बैया हलाल, ग्राम-दौलतपुर के वार्ड 05 अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति करना

*83. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला में स्वीकृत बल के विरुद्ध काफी कम संख्या में बिहार पुलिस बल (अवर निरीक्षक) की प्रतिनियुक्ति की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला भारत-नेपाल सीमा से सटा हुआ है एवं क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह संवेदनशील क्षेत्र है परंतु कम संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा आये दिन अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा रहा है जिससे आम जनता काफी डरे-सहमे हुये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधुबनी जिला में अतिरिक्त पुलिस बल (अवर निरीक्षक) की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*84. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत अगरेड़ खुर्द ग्राम में दिनांक 20 मार्च, 2022 को राजदेव पासवान को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तथा संतोष पासवान एवं निंबू राम को घायल कर दिया गया था जिसके संबंध में मृतक की पत्नी इंदू देवी ने सूरजपुरा थाना में कांड संख्या 32/2022 के द्वारा बृजभूषण पाण्डेय वगैरह को नामजद अभियुक्त बनाया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कांड में अभीतक एक को छोड़कर बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण मुकदमा वापस लेने के लिये धमकाया जा रहा है जिसकी लिखित सूचना सूरजपुरा थाना व डी०एस०पी०, बिक्रमगंज को दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी और दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*85. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत बगलबाड़ी पंचायत के रहमतपारा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है जिसके कारण पशुओं द्वारा कब्र को छिन्न-भिन्न कर दिया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० भवन निर्माण कराना

*86. श्री उमाकांत सिंह (क्षेत्र संख्या-7 चनपटिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला अन्तर्गत चनपटिया प्रखंड के कुमारबाग ओ०पी० एवं मनुआपुल ओ०पी० का भवन नहीं होने के कारण पुलिसकर्मियों एवं जनता को कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कुमारबाग ओ०पी० एवं मनुआपुल ओ०पी० के भवन निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त ओ०पी० के भवन का निर्माण कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टाफ क्वार्टर बनाना

*87. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के धनसोई थाना का भवन जर्जर है तथा उक्त थाना में स्टाफ क्वार्टर नहीं होने से कर्मचारियों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक धनसोई थाना में भवन के साथ स्टाफ क्वार्टर बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारी पर कार्रवाई करना

*88. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत रामगढ़ सहारा इंडिया शाखा में मो० वहीद अंसारी, श्रीमती सरोज देवी, श्रीमती रेणू देवी जैसे सैकड़ों निवेशककर्ताओं का भुगतान नहीं किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सॉख्यिकी वित्त निदेशालय का सख्त निर्देश है कि भुगतान न होने के एवज में संबंधित शाखा प्रबंधक, रामगढ़ पर बी०पी०आई०डी० ऐक्ट के तहत कार्रवाई किया जाये किन्तु अभीतक शाखा प्रबंधक, रामगढ़ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संबंधित शाखा प्रबंधक, रामगढ़ पर बी०पी०आई०डी० ऐक्ट के तहत कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गिरफ्तारी करना

*89. डॉ० सत्येन्द्र यादव (क्षेत्र संख्या-114 मांझी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा टाउन थाना कांड संख्या 282/21, दिनांक 15 मार्च, 2021 को दर्ज हुआ है जिसमें पर्यवेक्षण पुलिस पदाधिकारी ने सीआरपीसी की धारा 419, 420, 120(बी), 468 एवं 471 के तहत कांड को सही पाया ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पर्यवेक्षण पदाधिकारी ने दिनांक 10 मई, 2021 को ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी का आदेश किया है तथा अदालत ने अभियुक्तों की अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 780, दिनांक 26 जुलाई, 2021 को खारिज किया है किन्तु अभीतक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है ;

(3) क्या यह बात सही है कि कांड के सूचक टीएमबीयू भागलपुर विश्वविद्यलय के सेवानिवृत्त वयोवृद्ध प्रोफेसर है जिन्हें केस वापस लेने के लिये जान से मारने की धमकी दी जा रही है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*90. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के लौरिया प्रखंड स्थित पंचायत राज साठी के ग्राम-परसौनी में स्थित कब्रिस्तान जिला प्रशासन द्वारा चयनित सूची में शामिल है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से अतिक्रमण हो रहा है, साथ ही बरसात और नदी का पानी आकर कब्रिस्तान में भर जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*91. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखंड खिजरसराय के ग्राम-सरवहदा में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है जिसके कारण दो समुदायों में तनाव की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*92. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नगर परिषद्, ताजपुर के अधीन वार्ड नं० 22 मोरवा जाने वाली सड़क में गांधी चौक से दक्षिण मुहल्ला दरगाह कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान जिसका खाता नं० 332, खेसरा नं० 2969 कुल एक बीघा नौ कट्ठा, खुला रहने के कारण आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का आना–जाना लगा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना

*93. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के लोगों को उद्यमिता एवं स्वरोजगार हेतु मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रति यूनिट 10 लाख तक की संसाधन उपलब्ध कराई जाती है जिसमें प्रत्येक जिला में लगभग 500 आवेदन का चयन कर संसाधन उपलब्ध कराई जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के तहत प्रति यूनिट 10 लाख तक का लिमिट को वित्तीय वर्ष के बीच में घटाकर कम कर दिया गया है जिससे नये उद्यमी को काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत पूर्व से निर्धारित लिमिट 10 लाख प्रति यूनिट की सहता को पुनः चालू करने तथा प्रत्येक जिला में कम-से-कम 1000 आवेदन का चयन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

पटनाः
दिनांक 27 जून, 2022 (ई०) ।

बि०स०मु०-18 (एल०ए०), 2022-23 डी०टी०पी०-550